राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (पे.) संख्या 3674/2024

सलीम पुत्र ईसुब खान, उम्र लगभग 32 वर्ष, निवासी लालगुफ्फा रोड, गफ्फूर बस्ती जिला बीकानेर।

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से
2. हिना पुत्री रवि कुमार, निवासी मकन मकसूद कादरी, चौधरी दूध भंडार वाली गली, अमरसिंहपुरा जिला बीकानेर

----प्रतिवादीगण

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री आर.एस. चौधरी

प्रतिवादी(गण) के लिए : श्री एच.एस. जोधा, पी.पी

श्री अमरदीप लाम्बा-आर/2

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

27/09/2024

1. कथित पीड़िता/अभियोक्ता (प्रतिवादी संख्या 2) का पति और जल्द ही उनके विवाह से उत्पन्न बच्चे का पिता बनने वाला है, जिसका जन्म अगले महीने होने की उम्मीद है, इस न्यायालय में दिनांक 24.05.2024 को एफआईआर संख्या 246/2024 को रद्द करने के लिए उपस्थित है, जो कि आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 384, 323, 342 और 354 के तहत अपराधों के लिए थाना सदर, जिला बीकानेर में दर्ज की गई है।

2. शिकायतकर्ता - प्रतिवादी संख्या 2 ने संबंधित एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आरोप लगाया गया कि वह और याचिकाकर्ता-आरोपी दोस्त थे और नियमित रूप से टेलीफोन पर बातचीत करते थे, उन्होंने मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान किया था। अक्टूबर 2023 में, याचिकाकर्ता ने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया और उसे ठंडा पेय पदार्थ दिया। इसे पीने के बाद, वह बेहोश हो गई, और याचिकाकर्ता ने शारीरिक अंतरंगता के साथ उसकी कमजोर

स्थिति का फायदा उठाया। इसके अलावा, उसने घटना का वीडियो भी चुपके से रिकॉर्ड कर लिया, जिसका इस्तेमाल उसने उत्पीड़न और ब्लैकमेल के साधन के रूप में किया। जांच के बाद याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया गया। आरोप तय किए गए और मुकदमा शुरू हुआ। मुकदमे के दौरान याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 ने विवाह कर लिया। वे अब एक साथ रह रहे हैं और वैवाहिक सुख का आनंद ले रहे हैं।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता और विद्वान सरकारी अभियोजक के वकील को सुना है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क है कि प्रासंगिक समय पर वे सहमति से रिश्ते में थे और कुछ गलतफहमी और क्षण की गर्मी के कारण, धारा 376 आईपीसी के तहत कथित अपराध का आरोप याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने खेद व्यक्त किया। दोनों ने अपने मतभेदों को आपसी सुलह करने का फैसला किया। याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 अब विवाहित हैं। वे खुशी-खुशी साथ रह रहे हैं। वह आठ महीने की गर्भवती है। इसलिए शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप लगाने या मामले में आगे बढ़ने के लिए इच्छुक नहीं है। मामले के लंबित रहने से दोनों को गंभीर आघात पहुंचेगा और बच्चे का जन्म जल्द ही होगा।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे तर्क दिया कि यदि संबंधित एफआईआर को खारिज नहीं किया जाता है और उसके अनुसार कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है और याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया जाता है और उसे कारावास भुगतना पड़ता है, तो इससे अभियोक्ता को स्वयं कठिनाई होगी क्योंकि वह अब उसकी पत्नी है।

6. हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा रणजीत कुमार बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य (Cr.MMO संख्या 648/2023) के मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसका निर्णय 08.12.2023 को हुआ। उक्त निर्णय का प्रासंगिक अंश नीचे दिया गया है:

> "30. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कुछ उपरोक्त निर्णयों के अनुसरण में, इस न्यायालय सहित सभी उच्च न्यायालयों ने अपनी विभिन्न एकल पीठों के माध्यम से न केवल आईपीसी की धारा 376 बल्कि पोकसो के तहत कार्यवाही को भी रद्द कर दिया है। आखिरकार, धारा 482 सीआरपीसी के तहत उच्च न्यायालयों

को दी गई अंतर्निहित शक्ति का उद्देश्य न्याय को आगे बढ़ाना है, उस शक्ति का प्रयोग करने की कसौटी न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करना होगा। न्याय के उद्देश्य केवल कानून के उद्देश्यों से अधिक हैं। हालांकि न्याय को विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून के अनुसार प्रशासित किया जाना चाहिए। न्याय की अवधारणा लचीली और अगोचर है। उच्च न्यायालयों की पर्याप्त न्याय करने की शक्ति को सीमित करने वाली कोई कठोर और तेज़ रेखा नहीं हो सकती है। धारा 482 सीआरपीसी के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रतिबंधात्मक निर्माण, कठोर या दिखावटी हो सकता है न्याय, जो दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में गंभीर अन्याय का कारण बन सकता है, फिर भी व्यापक आयाम की ऐसी शक्तियों का प्रयोग आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के संदर्भ में सावधानी से किया जाना चाहिए, जिसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए:

(i) समाज की चेतना पर अपराध की प्रकृति और प्रभाव;

(ii) चोट की गंभीरता, यदि कोई हो;

(iii) अभियुक्त और पीड़ित के बीच समझौते की स्वैच्छिक प्रकृति;

(iv) अभियुक्त का आचरण; कथित अपराध की घटना से पहले और बाद में या अन्य प्रासंगिक विचार।

31. उपरोक्त कानून की व्याख्या से यह भी स्पष्ट है कि यद्यपि उच्च न्यायालयों को सामान्यतः महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों से संबंधित जांच/आपराधिक कार्यवाही में केवल समझौते के आधार पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान की धारा 482 और अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए "पक्षकारों को पूर्ण न्याय प्रदान करने के लिए असाधारण परिस्थितियों" में ऐसी कार्यवाही को रद्द करने से पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। हालांकि, न्यायालय के लिए तथाकथित "असाधारण परिस्थितियों" की पहचान करना हमेशा एक कठिन कार्य होता है। न्यायालय को पीड़ित के हित के साथ-साथ सामाजिक हित को भी ध्यान में रखना होगा, जो अक्सर टकराते हैं, जिससे न्यायालय का काम और अधिक कठिन और जटिल हो जाता है। सभी प्रासंगिक मुद्दों

पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिए और पक्ष-विपक्ष को तौला जाना चाहिए और फिर एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। समझौता करने योग्य मामलों की पहचान करने के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

....

41. वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त पर धारा 366, 376, 212 और 120-बी आईपीसी और धारा 4 पोक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप लगाया गया है, लेकिन फिर यह अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि आपराधिक अभियोजन केवल इसलिए शुरू किया गया क्योंकि पीड़िता एक बच्ची है, लेकिन अन्यथा वह अभियुक्त से प्यार करती थी। यह भी विवाद में नहीं है कि अभियुक्त बच्ची पीड़िता के साथ विवाह करने में रुचि रखता था और वास्तव में उसने 09.03.2023 को विवाह किया और उसके बाद 17.04.2023 को समझौता भी किया। ऐसी परिस्थितियों में, अलख आलोक श्रीवास्तव और डॉ. मारोती के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रासंगिक टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए भी, न्यायालय स्वयं को संतुष्ट करने के बाद भी एफआईआर को रद्द कर सकता है कि बाल पीड़िता और उसके परिवार के सदस्यों ने विवाद सुलझा लिया है और पीड़िता ने विवाह कर लिया है और शांतिपूर्ण जीवन जी रही है और इसलिए, ऐसे मामले में अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से उनके खुशहाल पारिवारिक जीवन में केवल व्यवधान ही आएगा और ऐसी परिस्थितियों में न्याय का उद्देश्य यह होगा कि पक्षों को समझौता करने की अनुमति दी जाए। हालांकि, ऐसा करने से पहले, न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विवाह सजा से बचने का बहाना नहीं है और समझौता करने के लिए पीड़िता द्वारा दी गई सहमति स्वैच्छिक है। न्यायालय को मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि कार्यवाही को रद्द करने से पीड़िता को न्याय मिलेगा और कार्यवाही जारी रखने से अन्याय होगा।

42. इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, हमारे विचार से अपराध का समझौता करने से दोनों पक्ष समाज में सम्मान और गरिमा का जीवन जी सकेंगे। जब उनके बीच कोई विवाद नहीं है, तो जाहिर है कि कानून इतना कठोर नहीं हो सकता कि वह पक्षों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो जाए, क्योंकि कानून को पक्षों के भविष्य को सुरक्षित करना होता है और ऐसी परिस्थितियों में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से केवल अपूरणीय उत्पीड़न और कठिनाई होगी और पीड़ित की प्रतिष्ठा भी धूमिल और खराब हो सकती है। अदालती कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पूर्ण न्याय करने की शक्ति प्रत्येक न्यायिक न्याय व्यवस्था का सार है। इसे विकृत धारणाओं से कमजोर नहीं किया जा सकता और यह किसी भी चीज का गुलाम नहीं है, सिवाय सावधानी के, जिसके मानक न्यायालय अपने सामने रखता है, न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए करुणा का लबादा ओढ़ते हुए इसमें निहित ऐसी पूर्ण और उन्मुक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए। कोई भी प्रतिबंध, चाहे वह सीआरपीसी की धारा 320(9) के रूप में हो या कोई अन्य ऐसा प्रतिबंध, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय की पूर्ण न्याय करने की शक्ति को कम नहीं कर सकता।

43. आधुनिक समाज में समझौता सद्भाव और व्यवस्थित व्यवहार की अनिवार्य शर्त है। यह न्याय की आत्मा है और यदि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का उपयोग ऐसे समझौते को बढ़ाने के लिए किया जाता है जो बदले में सामाजिक सौहार्द को बढ़ाता है और घर्षण को कम करता है, तो यह वास्तव में "न्याय का सबसे अच्छा समय" है।

44. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीमती शकुंतला साहनी बनाम श्रीमती कौशल्या साहनी और अन्य, 1980 (1) एससीसी 63 में समझौते के सार को सारांशित करते हुए कहा कि:-

> "...न्याय का सबसे अच्छा समय तब आता है जब पक्षकार, अलग होने के बावजूद, कटुता को दूर कर देते हैं और पुनर्मिलन की भावना को बुनते हैं।"

7. माना कि इस मामले में शिकायतकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 और याचिकाकर्ता-आरोपी ने अप्रिय घटना के बाद एक दूसरे से विवाह कर लिया जिसके कारण संबंधित एफआईआर दर्ज की गई। यह आत्मचिंतनशील है कि पक्षकार एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध का आनंद ले रहे हैं और एक खुशहाल, शांत और शांतिपूर्ण पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच बाद में विकसित हुई मित्रता को देखते हुए, आरोपी को मुकदमे में उत्पीड़न और अपमान सहना न्याय का उपहास होगा, जो किसी भी मामले में उसके बरी होने की संभावना है क्योंकि शिकायतकर्ता, उसकी पत्नी होने के नाते, अपने आरोपों को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखती है।

8. विद्वान लोक अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील उपरोक्त स्थिति से सहमत हैं और एफआईआर को रद्द करने पर कोई आपत्ति नहीं जताते हैं।

9. न्याय के व्यापक हित में, धारा 482 सीआरपीसी (अब बीएनएसएस की धारा 528) के तहत इस न्यायालय में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबंधित एफआईआर को रद्द करना समीचीन समझा जाता है। इस संदर्भ में ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य [(2012) 10 एससीसी 303] के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

10. परिणामस्वरूप, याचिका स्वीकार की जाती है। आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 384, 323, 342 और 354 के तहत अपराधों के लिए थाना सदर, जिला बीकानेर में दिनांक 24.05.2024 को दर्ज एफआईआर संख्या 246/2024 और उससे उत्पन्न होने वाली सभी परिणामी कार्यवाही को रद्द किया जाता है।

11. यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।